—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 81/2021

उनवान

1. सायरी पत्नी सूजा
2. बुद्वराज पुत्र सूजा पौत्र रतनलाल समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम मोडी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

1. गणपतलाल पुत्र पुखराज जाति मेघवाल निवासी गच्छीपुरा, मकराना, नागौर
2. गिरीराज पुत्र मंगाराम चौहान, जाति बावरी, निवासी मालियों की बस्ती बालाजी मन्दिर के पास, भाटीपुरा, मकराना, नागौर
3. उप पंजीयक, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—: अप्रार्थीगण :— 1 से 2 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
3 व 4 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 6.12.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डियानी के वंर्किग खसरा नम्बर 207 रकबा 15—0—0 के हाल खसरा नम्बर 2341/482 रकबा 2.40 की आराजी के मूल खातेदार रतनलाल पुत्र रूघनाथ ने जार्यें पावर आफॅ अर्टोनी सूजा पुत्र रतनलाल के उक्त आराजी व अन्य आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 206 व 207 मिन जरियें पंजरकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.12.91 को प्रार्थीगण को बेचान की थी। असल विक्रय पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का नाम सहवन से सूजा के स्थान पर रतनलाल अंकित कर दिया जबकि रतनलाल प्रार्थी संख्या 2 के दादा है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण के नाम नामानतकरण संख्या 90 दिनांक 25.04.1987 स्वीकृत किया गया। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का क्रय दिनांक से आज दिवस तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थीगण को बैचान के बावजूद पुनः देवकरण पुत्र दयाल को व देवकरण पुत्र दयाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बेचान कर ... विक्रय पत्र प्रारम्भ से शून्य

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

व अवैधानिक हैं। हाल जमाबंदी में भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम गलत इन्द्राज कर दिया है। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण को बेदखल करने अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 207 रकबा 15–0–0 रतनलाल के नाम गैरखातेदारी थी, जो कि नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 21.03.1997 से रतनलाल के नाम खातेदारी की गयी। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी गैर खातेदारी के समय क्रय की थी, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही था। प्रार्थी का विक्रय पत्र शून्य है। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की थी जिसके आधार पर जवाबकर्ता के नाम राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया गया। आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम मण्डियानी के वंर्किग खसरा नम्बर 207 रकबा 15–0–0 के हाल खसरा नम्बर 2341/482 रकबा 2.40 की आराजी के मूल खातेदार रतनलाल पुत्र रूघनाथ ने जायिें पावर आफॅ अर्टोनी सूजा पुत्र रतनलाल के उक्त आराजी व अन्य आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 206 व 207 मिन जरियें पंजरकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.12.91 को प्रार्थीगण को बेचान की थी। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजी पर खातेदारी हक नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 21.3.97 से प्राप्त हुये तथा रतनलाल ने उक्त आराजी 1999 को देवकरण को विक्रय की तथा देवकरण द्वारा बाद में उक्त आराजी का बैचान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को किया। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पेश नामान्तकरण संख्या 90 दिनांक 25.04.1997 के अनुसार खातेदारी अधिकार मिलने के बाद रतनलाल के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद राजस्व अभिलेख में नही होने के कारण रतनलाल द्वारा भूमि का आगे बैचान किया गया। प्रार्थी के पास भी आराजी मुतनाजा का पजीकृत विक्रय पत्र उपलब्ध है। जो कि अप्रार्थीगण के विक्रय पत्र से पूर्व का है। दोनो ही पक्ष आराजी मुतनाजा पर अपना–अपना कब्जा बताते है किन्तु कब्जे के तथ्य मूल वाद में निर्धारित किये जायेगे। अतः प्रथम प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनजा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है। प्रार्थी का विक्रय पत्र पूर्व का है जिसके आधार पर तत्समय नामान्तकरण भी दर्ज किया गया। अप्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र हस्तांतरण किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नीमराणा (अलवर)

जाता है तो वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। शेष तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम मण्डियानी के हाल खसरा नम्बर 2341/482 रकबा 2.40 की आराजी पर प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:37 IST
Reason: SelfAttested